उत्तराखण्ड शासन
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्याः– 326 उन्तीस (1)/2018–(33 अधि0) 2017
देहरादून दिनांकः 01 मार्च, 2018

दिनांक 17.08.2017 की रात्रि में दिलाराम बाजार,देहरादून स्थित जलकल में हुये क्लोरीन गैस रिसाव के कारण 14 व्यक्ति उक्त गैस से प्रभावित हुये, जिनमें से 05 व्यक्तियों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया । प्रश्नगत प्रकरण में उदासीनता एवं लापरवाही के कृत्य हेतु श्रीमती नीलिमा गर्ग, महाप्रबन्धक (मु0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को शासन के पत्र संख्या–77/उन्नतीस(1)/2018 (33 अधि0)/2017 दिनांक 10.01.2018 द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम–10(2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त के सम्बन्ध में श्रीमती नीलिमा गर्ग द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण शासन को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती गर्ग द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ शाखाधिकारियों से नियमित रूप से जलापूर्ति एवं कार्यालय की अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में समय–समय पर स्थिति का संज्ञान लिया जाता रहा है। दिनांक 17.08.2017 की रात्री में अचानक हुये क्लोरीन गैस रिसाव की जानकारी उनको नहीं हो पाई। यद्यपि प्रभारी अधिशासी अभियन्ता (उत्तर) उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा रात्रि 11.50 बजे उनको कॉल की गई, किन्तु रात्रि में उनका मोबाईल पास न होने तथा निद्रा में होने के कारण यह कॉल उनके संज्ञान में नही आ पायी। स्थिति का संज्ञान उन्हें दिनांक 18.08.2017 की प्रातः 6:45 बजे अपना मोबाईल चैक करने पर हुआ। तदोपरान्त श्रीमती गर्ग द्वारा प्रातः 9:30 बजे घटना स्थल एवं जलकल स्थित ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निरीक्षण कर सम्बन्धित कार्मिकों को अपेक्षित दिशा निर्देश दिये गये ।

2. श्रीमती नीलिमा गर्ग द्वारा उपलब्ध कराया गया स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है। उक्त रात्रि को क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण 14 लोग प्रभावित हुये जिनमें से 05 लोगों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया एवं उक्त रिसाव के कारण जान–माल का भी नुकसान हो सकता था। श्रीमती गर्ग महाप्रबन्धक (मु0) द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया गया तथा घटना के अगले दिन दिनांक 18.08.2017 को प्रातः 6:45 बजे घटना का संज्ञान होने के बावजूद वे 9:30 बजे घटना स्थल पर पहुंची। प्रकरण में मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जांच आख्या में क्लोरीन गैस के रिसाव का कारण सिलेण्डर की तली में लगभग 5 मि.मी. का छेद पाया जाना तथा सिलेण्डर की तली में अत्यधिक जंग लगा हुआ पाया जाना बताया गया। इसके अतिरिक्त क्लोरीन प्लान्ट पर छत न होने एवं प्लान्ट के गेट के सामने टैंकर खडे होने, सिलेण्डरों की स्थिति को भली भॉति न देखने आदि की लापरवाहीं भी जांच में पायी गई। समय–समय पर जलकल स्थित ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का मुआयना कर प्लान्ट की कमियों को दूर करने हेतु

सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर उनका क्रियान्वयन सही ढंग से कराये जाने का दायित्व महाप्रबन्धक (मु0) के पद पर होने के दृष्टिगत श्रीमती नीलिमा गर्ग का था, जो उनके द्वारा नहीं निभाया गया। महाप्रबन्धक जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने के बावजूद प्रकरण में अपेक्षित संवेदनशीलता न बरतने तथा कार्यो के प्रति उदासीनता हेतु श्रीमती नीलिमा गर्ग को भविष्य हेतु चेतावनी दी जाती है।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव(प्रभारी)

पत्र सं0–326 / उन्तीस (1)/2018–(~~04~~ 33 अधि0) ~~2018~~ 2017, तददिनांकितः–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव,मा0मंत्री जी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल,पौडी।
4. जिलाधिकारी,देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक,उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादूनं।
6. सम्बन्धित अधिकारी (श्रीमती नीलिमा गर्ग)।
7. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा किये जाने हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।